856 A [redacted]9

Temporary Posts and emyloyees, making permanent

Part XXIX—अस्थायी पदों एवं कर्मचारियों का स्थायीकरण

ज्ञाप संख्या ६/नि१—१०८/७३—४५०-का०।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग।

सेवा में,

सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

मुख्य वन संरक्षक, रांची।

दिनांक २ जून, १९७३।

विषय—जिन अस्थायी कर्मचारियों की लगातार सेवा तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका स्थायीकरण।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या १५५७, दिनांक २ मई, १९७२ की ओर निर्देश करना है जिसके अनुसार स्थायी स्थापना में कार्यरत वैसे अस्थायी कर्मचारियों को, जिन्होंने तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की लगातार सेवा की है, स्थाई करना था। इधर अराजपत्रित संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार के ध्यान में यह बात लायी है कि सरकारी अनुदेश के बावजूद भी इसका कार्यान्वयन कुछ विभागों में तत्परता से नहीं किया गया है। सरकार चाहती है कि स्थायीकरण के सम्बन्ध में जो निर्देश निर्गत हुए हैं उनका पालन पूर्ण तरीके से किया जाय। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्थायी स्थापना में कार्यरत ऐसे सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को, जो प्रत्येक, वर्ष के १ ली अप्रील को लगातार तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके रहेंगे, अगर वे स्थायी नियुक्ति के लिए अन्यथा योग्य हों, स्थायी कर दिया जाय। सभी विभागाध्यक्षों एवं विभागीय सचिवों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि इस विन्दु पर आदेश के कार्यान्वयन में कोई शिथिलता नहीं हो।

२। स्थायी स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन बहुत-से अस्थायी योजनाएं वर्षों से चली आ रही हैं और ऐसी भी सम्भावना है कि ये योजनाएं भविष्य में भी चलती रहेंगी। ऐसी अस्थायी योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार का यह निर्णय है कि जिन कर्मचारियों ने प्रत्येक वर्ष के १ ली अप्रील को १० वर्ष की लगातार सेवा कर ली है, उन्हें अगर वे स्थायी नियुक्ति के लिये अन्यथा योग्य हों, सम्पुष्ट कर दिया जाय बशर्ते कि उस अस्थायी योजना में स्थायी किये हुए कर्मचारियों की संख्या कुल बल के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हो। इन अस्थायी योजनाओं के सम्बन्ध में केवल एक ही बात देख लेनी है कि इन्हें अगले कुछ सालों तक चलने की सम्भावना है।

३। उपर्युक्त आदेश पटना सचिवालय तथा संलग्न कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यालय तथा मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के निम्नवर्गीय सहायकों के लिए भी लागू है, लेकिन इन सहायकों को उपलब्ध स्थायी पदों के ७५ प्रतिशत के विरुद्ध ही समंजन किया जाय।

४। कंडिका ३ में वर्णित जिन अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों को इस आदेश के अनुसार स्थायी किया जायगा वे सचिवालय के अनुदेश में दिये गये निम्नवर्गीय सहायकों की भर्ती नियमावली के नियम ६ (२) (ग) के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए परीक्ष्यमान रहेंगे एवं प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उन्हें निम्नवर्गीय सहायक के पद पर सम्पुष्ट किया जायगा।

५। अनुरोध है कि इन अनुदेशों की पूरी जानकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को करा दी जाय एवं इनका पूर्ण कार्यान्वयन हो।

ब्रजभूषण सहाय

सरकार के सचिव।

बि० स० शा० मु० (पी० ऐंड ए०) ६५—२,५००—१५-१२-१९७३—न० प्रसाद।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या–६/नि०१–१०८/७३ का०–५२०/पटना-१५, दिनांक ५ अप्रील, १९७४ ।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष

संलग्न कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक, रांची

विषय:— स्थायी स्थापना में तीन वर्षों से अधिक सेवारत कर्मचारियों को स्थायी करने संबंधी कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-४५०, दिनांक २–६–१९७३ का स्पष्टीकरण ।

विभिन्न विभागों/संलग्न कार्यालयों तथा विभागाध्यक्षों से कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-४५०, दिनांक २-६-१९७३ को प्रसंगित करते हुए कई तरह के स्पष्टी करण पूछे गये हैं, जिनमें प्रधानत: निम्नांकित स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है :–

(अ) क्या तीन वर्षों से अधिक सेवा करनेवाले सभी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की पृष्ठभूमि का ख्याल किये बिना स्थायी करना है ? इस बिन्दु पर विशेषकर ऐसे प्रसंग प्राप्त हुए हैं कि सचिवालय विभागों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालय में तदर्थ आधार पर (Ad hoc basis) निम्नवर्गीय सहायक से नीचे स्तर के स्थायी कर्मचारियों में कुछ को अस्थायी निम्न-वर्गीय सहायक नियुक्त किया गया है और उनमें से भी कुछ की सेवाएं तीन वर्षों से अधिक हो गयी है, तो क्या उन्हें भी स्थायी कर दिया जाय ?

(आ) परिपत्र की कंडिका–१ में "यदि वे अन्यथा योग्य हों" से क्या तात्पर्य है ।

२– निदेशानुसार सभी विभागों/विभागाध्यक्षों की सुविधा एवं निर्देश के लिए उपर्युक्त बिन्दुओं पर अधोहस्ताक्षरी को निम्नांकित सरकारी निर्णय संसूचित करना है :–

(क) उपर्युक्त उप कंडिका (अ) के संबंध में सरकार के परिपत्र संख्या–४५०, दिनांक–२–६–१९७३ की मंशा यह कदापि नहीं है कि अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि का ख्याल किये बिना उन्हें स्थायी कर दिया जाय । तदर्थ आधार पर (Ad hoc basis) नियुक्ति के समय वित्त विभाग (तत्कालीन संचालक विभाग) की सहमति जिन-जिन विभागों ने मांगी थी, उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि टंककों, चर्यालिपिकों, छँटनीग्रस्त स्रोतों से जो कामचलाऊ आधार पर जिनकी भर्ती की जायगी, उन्हें विहित परीक्षा आयोजित होने पर उसमें सम्मिलित होकर उत्तीर्णता प्राप्त करने पर ही उनकी नियुक्ति नियमित की जायगी । जो विहित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें अपने-अपने मूल पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा और जिन्हें किसी पद पर ग्रहणाधिकार नहीं है, उन्हें सेवा से हटा दिया जायगा । अतएव टंककों, चर्यालिपिकों या समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में जो उत्तीर्ण नहीं हैं या १९७३ में आयोजित निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन्हें स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि से ही परीक्ष्यमान रूप में स्थायी किये जायेंगे । जहां तक छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का प्रश्न है, सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त होने पर ही उन्हें परीक्ष्यमान किया जा सकता है । इनमेंजो परीक्षा में उत्तीर्णता नहीं प्राप्त करते हैं, अस्थायी पद उपलब्ध नहीं रहने पर इन्हें सेवा से हटा दिया जायगा ।

(ख) कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-४५०, दिनांक २-६-१९७३ की कंडिका-१ में उल्लिखित "अन्यथा योग्य हो" का तात्पर्य यह है कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने का निर्णय लिया जाय उनका सेवा-अभिलेख संतोषप्रद हो

तथा उनकी अस्थायी नियुक्ति विहित नियमों के अन्तर्गत या भर्त्ती की सामान्य विहित प्रक्रियाओं को अपना कर की गयी हो। तदर्थ आधार पर (Ad hoc basis) नियुक्त अस्थायी कर्मचारिगण, बिना विहित नियम की शर्त्तों को पूरा किये, स्थायी होने हेतु सक्षम नहीं हैं।

३— अतएव बिना परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये, तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये निम्नवर्गीय सहायकों को परीक्षोत्तीर्ण उम्मीदवारों के आवंटन पश्चात् तुरत मूल/पूर्व पद पर अविलम्ब प्रत्यावर्त्तित कर दिया जाय और जो खुले बाजार से आये हैं, उनकी सेवा भंग कर दी जाय। यदि गैर-जानकारी या स्पष्टीकरण के अभाव में ऐसे कोई कर्मचारी परीक्ष्यमान या संपुष्ट कर दिये गये हो तो वैसे आदेशों को रद्द कर दिया जाय।

४— सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-४५०, दिनांक २-६-१९७३ का कार्यान्वियन उपर्युक्त आलोक में ही करें।

(सूर्य नारायण झा)
सरकार के उप सचिव।

ऊमा०/५-४,

ज्ञाप संख्या ६/नि० १-१०८/७३-७३५-का०।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

———

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष,

मुख्य वन संरक्षक, रांची सहित।

पटना, दिनांक ४ मई, १९७४।

विषय—स्थायी स्थापना में तीन वर्षों से अधिक सेवारत कर्मचारियों को स्थायी करने संबंधी कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ का स्पष्टीकरण।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना है कि उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ५२०-का०; दिनांक ५ अप्रील, १९७४ में अंकित अनुदेश को तत्काल स्थगित किया जाता है। उक्त परिपत्र में प्रसंगित विषय की विस्तृत जांच कर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय संसूचित किया जायगा।

सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप-सचिव।

बि० स० शा० मु० (पी० एण्ड एट ए०) १०-१,०००-२१-६-१९७४-न० प्रसाद।

ज्ञाप संख्या १०/परी०-१४०१/७४—१४०८-का० ।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग ।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,

पटना, दिनांक १३ जून, १९७४ ।

विषय—तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले का रहे अस्थायी पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग—मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या सी० एस० ४९४८, दिनांक २ सितम्बर १९६९ तथा सी० एस० ३/एन १-१०२५/७१—२६७९, दिनांक ४ जून, १९७१ तथा नियुक्ति (अब कार्मिक) विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या ३/एम-१-५०३६/६७ ए—१३५७६, दिनांक ९ सितम्बर, १९६७ तथा ३/आर-१-१०३२/७१ए—१९८४०, दिनांक १६ नवम्बर, १९७१ ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये आदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त आदेशों का सरल एवं शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने एवं तीन वर्षों से अधिक से चले आ रहे ऐसे अस्थायी पदों को स्थायी करने, जिनका भविष्य में अनिश्चितकाल तक बने रहने की संभावना हो, के सम्बन्ध में पूर्ण एवं स्पष्ट शक्तियां सरकार के प्रशासकीय विभागों तथा विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित करने का विषय सरकार के विचाराधीन था ।

२ । सभी संबंधित तथ्यों पर सांगोपांग विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि तीन वर्षों से चले आ रहे ऐसे अस्थायी अराजपत्रित पदों, जिनके भविष्य में अनिश्चतकाल तक बने रहने की संभावना है, को स्थायी करने की पूर्ण शक्तियां सरकार के प्रशासकीय विभागों एवं विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित रहेगी । साथ ही सरकार के प्रशासकीय विभागों को यह भी शक्ति प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है कि १,२५० रु० तक के वेतत वाले अस्थायी राजपत्रित पदों को भी वे स्थायी कर सकेंगे । उक्त सभी पदों को स्थायी करने में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी । अन्य कोटि के राजपत्रित पदों के लिए वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रि परिषद् की स्वीकृति पूर्ववत आवश्यक रूप से ली जाती रहेगी ।

३ । उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अस्थायी पदों के स्थायी करने सम्बन्धी आदेश जारी करने के पूर्व निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा :—

(i) जिन पदों का सृजन किसी अन्य स्रोतों की सहायता से हुआ है और जिनका राज्य की बजट के आधार पर बना रहना असंभव है, उन्हें स्थायी नहीं किया जायगा ।

(ii) विशेष कार्यों एवं परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पदों, जिनका कि उक्त कार्यों एवं परियोजनाओं की समाप्ति पर समाप्त हो जाना है, को स्थायी नहीं किया जायगा ।

(iii) केवल उन पदों को स्थायी किया जायगा, जिनका भविष्य में अनिश्चितकाल तक स्वीकृत मापदंडों एवं तथ्यों तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, स्थायीकरण सम्बन्धी निर्णय लेने के समय, बने रहना न्यायोचित है ।

(iv) प्रत्येक वर्ष की १ ली अप्रील को ऐसे उपलब्ध पदों की उपर्युक्त आधार पर समीक्षा की जावेगी और जो पद उपर्युक्त मापदंडो के अनुसार आवश्यक समझे जायेंगे उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा ।

४। सभी प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अस्थायी पदों के सम्बन्ध में समीक्षा कर उपर्युक्त सरकारी आदेशों के अनुसार आवश्यक आदेश अविलम्ब जारी करेंगे। इसकी सूचना निश्चित रूप से यथासमय कृपया कार्मिक विभाग को भी दी जाय।

सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या १०/परी०-१४०१/७४—१४०८-का०।

पटना, दिनांक १३ जून, १९७४।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना (एस० पी० वर्मा रोड) को सूचनार्थ प्रेषित।

सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप-सचिव।

बि० स० शा० मु० (पी० एण्ड ए०) ४४—२,०००—९-१०-१९७५—न० प्रसाद।

ज्ञाप संख्या १०/पर०१००१/७६-का०-२४९
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
मुख्य वन संरक्षक, रांची।

पटना-१५, दिनांक २३ फरवरी, १९७६।

विषय :— स्थायी स्थापना में तीन वर्षों से अधिक सेवारत कर्मचारियों को स्थायी करने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ९/नि० १-१०८/७३-४५०-का० दिनांक २ जून, १९७३ (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका-१ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त कंडिका में व्यक्त "अन्यथा योग्य हों" का तात्पर्य कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ५२०, दिनांक ५ अप्रील, १९७४ (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका-२ में जो स्पष्ट किया गया था उसका स्थगन कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ७३५, दिनांक ४ मई, १९७४ (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा तबतक के लिए कर दिया गया है, जबतक कि उक्त विषय की विस्तृत जांच कर अन्तिम निर्णय संसूचित नहीं कर दिया जाता है।

२. प्रसंगगत विषय अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होते ही तदनुसार कार्रवाई हेतु सरकारी परिपत्र निर्गत किया जायगा। इसी बीच सरकार के प्रकाश में यह बात आई है कि यद्यपि परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ की कंडिका-१ के अनुसार कोई भी कार्रवाई की जानी तत्काल वर्जित है, फिर भी सचिवालय के कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त स्थगन की अवहेलना करते हुए, परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ की कंडिका-१ के आधार पर तदर्थ रूप में तथा अन्य श्रोतों से नियुक्त निम्नवर्गीय सहायकों को, जिनकी सेवा तीन वर्ष या तीन वर्षों से अधिक की हो चुकी है, अनियमित रूप से परीक्ष्यमान घोषित किया जा रहा है, जो सर्वथा अनियमित है।

३. अतएव जबतक परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ की कंडिका-१ में आये "अन्यथा योग्य हों" के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम निर्णय को संसूचित नहीं कर दिया जाता, तबतक परिपत्र संख्या ४५०, दिनांक २ जून, १९७३ को स्थगित मानकर तदनुसार कोई कार्रवाई नहीं करें और अगर कोई कार्रवाई कर चुके हों तो इसे रद्द समझें।

(एफ० अहमद),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।